उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 05 चैत्र, शक संवत्, 1932

(दिनांक : 26 मार्च, 2010)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।
2. प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)।
3. निधन के निदेश।
4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
6. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
7. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
8. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
9. वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

(1) राजस्व मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रूपये 3925347 हजार (रूपये तीन सौ बयानवे करोड़ तिरपन लाख सैंतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(2) खाद्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रूपये 304784 हजार (रूपये तीस करोड़ सैंतालीस लाख चौरासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(3) आबकारी मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रूपये 97458 हजार (रूपये नौ करोड़ चौहत्तर लाख अठ्ठावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(4) पर्यटन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रूपये 850376 हजार (रूपये पचासी करोड़ तीन लाख छिहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

(5) कृषि मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रूपये 3719952 हजार (रूपये तीन सौ इकहत्तर करोड़ निन्यानवे लाख बावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

(6) पशुपालन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रूपये 1081040 हजार (रूपये एक सौ आठ करोड़ दस लाख चालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

(7) औद्यानिक विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29, औद्यानिक विकास एवं रेशम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रूपये 821142 हजार (रूपये बयासी करोड़ ग्यारह लाख बयालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

10. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

11. जनपद चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर में डिग्री कालेज के लिए भूमि स्थानान्तरण एवं स्थापना करने के संबंध में श्रीमती वीना महराना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2010 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

12. प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के 12वें वृत के अन्तर्गत संचालित खण्डों में बजट आवंटित न होने के कारण सैकड़ों मोटर मार्गों का निर्माण ठप्प होने के संबंध में श्रीमती अमृता रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2010 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 26 मार्च, 2010

(महेश चन्द्र)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 05 चैत्र, शक संवत्, 1932

(दिनांक : 26 मार्च, 2010)

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

श्री जोत सिंह गुनसोला 05.03.2010	** क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्थित सभी जल विद्युत गृह लाभ की स्थिति में हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी पुरानी व नई जल विद्युत गृह योजनाओं को निजी हाथों को सौंपने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है?	ऊर्जा

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

श्री जोत सिंह गुनसोला
26.02.2010

*1. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के अन्तर्गत किस फेज पर कार्य चल रहा है तथा कितना कार्य वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकृत किया गया है? अपूर्ण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

ग्राम्य विकास

अतारांकित प्रश्न

श्रीमती अमृता रावत
10.02.2010

1. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज, बसन्तपुर के लिए विधायक निधि से अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु वर्ष 2000–2001 में चार लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो स्वीकृत धनराशि से कितने कक्षा–कक्षों का निर्माण प्रारम्भ किया गया है और इन कक्षा–कक्षों के निर्माण की कार्य प्रगति का विवरण क्या है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इतनी लम्बी अवधि तक स्वीकृत धनराशि का उपयोग न किये जाने तथा निर्माणाधीन कक्षा–कक्षों का निर्माण पूर्ण न किये जाने कि प्रति कौन उत्तरदायी है और कब तक इन कक्षा–कक्षों का निर्माण पूर्ण किया जायेगा?

शिक्षा

श्री गणेश जोशी
11.02.2010

2. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि ग्राम पंचायत चामासारी विकासखण्ड रायपुर के अन्तर्गत कोई भी हाई स्कूल नहीं है? क्या यह सत्य है कि जूनियर हाई स्कूल सेरा चौकी में चामासारी, नगद्वान गांव, बस्वाल, पटाली, सेरा, सिलकोटी कार्लीगाड, मझाड़ा बगड़ा धोरण आदि गांवों के लगभग 150 बच्चे अध्ययनरत हैं? क्या यह भी सत्य है कि नजदीकी कोई भी हाईस्कूल न होने के कारण यहां के बच्चों को हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 10 किमी0 की दूरी तय कर गुजराड़ा इण्टर कालेज में जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार जूनियर हाई स्कूल सेरा चौकी चामासारी को हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकृत किये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्रीमती अमृता रावत 15.02.2010	**3.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में असहायतित मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों का जनपद वार विवरण क्या है तथा इन विद्यालयों को कब से मान्यता प्रदान की गई और इन विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में कब तक सम्मिलित किया जायेगा?	**शिक्षा**
श्री किशोर उपाध्याय 16.02.2010	**4.** क्या बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार 'आंगनबाड़ी कार्यकर्मियों' को स्थायी राजकीय सेवा में सेवायोजित करेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**बाल विकास**
श्री किशोर उपाध्याय 16.02.2010	**5.** क्या बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार राज्य में कार्यरत 'आशा कार्यकर्मियों' को स्थायी सरकारी सेवा में सेवायोजित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**द्वितीय सोमवार के अता0 45 में स्था0**
श्री किशोर उपाध्याय 16.02.2010	**6.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 'भोजन माताओं' को सरकारी सेवा में सेवायोजित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री किशोर उपाध्याय 16.02.2010	**7.** क्या महिला सशक्तिकरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार राज्य में महिलाओं के उत्थान हेतु नीति का निर्धारण कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**महिला सशक्तिकरण**
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 16.02.2010	**8.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भिक्यासैण, स्याल्दे व सल्ट में प्राथमिक एवं माध्यमिक कुल कितने विद्यालय हैं तथा विकास खण्ड वार पूर्ण विवरण क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त विद्यालयों में पृथक–पृथक छात्र–छात्राओं की संख्या क्या हैं? क्या छात्र–छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार छात्र–छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्रीमती अमृता रावत 17.02.2010	**9.** क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले ग्रामीण श्रमिकों को योजना के मापदण्डों के अनुसार समय पर भुगतान नही किया जा रहा हैं? यदि हां, तो श्रमिकों को नियमानुसार यथा समय भुगतान करवाए जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या नीति निर्धारित की गई है? क्या यह भी सत्य है कि ग्रामीण श्रमिकों का भारतीय स्टेट बैंक में खाता न होने के कारण चैक कलैक्शन में अत्यधिक समय नष्ट हो रहा है जिसके कारण श्रमिकों को मनरेगा योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को भुगतान करने/करवाने में भारी विलम्ब हो रहा है? यदि हां, तो इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं?	**ग्राम्य विकास**

श्रीमती अमृता रावत
17.02.2010

10. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्राइमरी स्कूल से इण्टर कालेज तक शिक्षकों के स्वीकृत/कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षकों की कमी के कारण प्रभावित हो रही शिक्षण व्यवस्था के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा प्रदेश के सभी विद्यालयों में स्वीकृत मानकानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? **शिक्षा**

श्रीमती अमृता रावत
17.02.2010

11. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान सरकार के शासन काल में प्रदेश कें किन–किन राजकीय प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज के भवनों के निर्माण/अनुरक्षण अथवा कक्षा कक्षों के निर्माण हेतु कब–कब कितनी–कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है तथा क्या स्वीकृत धनराशि का उपभोग कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? **शिक्षा**

श्री मयूख महर
17.02.2010

12. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के फेज 6 में बिण चैंसर मोटर मार्ग 2 कि0मी0 बनना था जिसका कार्य लगभग 1.5 कि0मी0 पूर्ण हो चुका है? क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग के प्रारम्भ में 375 मीटर सैन्य क्षेत्र आता है जिसमें सेना को मार्ग निर्माण में आपत्ति है? यदि हां, तो क्या सरकार सैन्य क्षेत्र से उक्त निर्मित मार्ग को जोड़ने के लिये कोई वैकल्पिक मार्ग बनाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक और कहां से? यदि नहीं, तो क्यों? **ग्राम्य विकास**

श्री पुष्पेश त्रिपाठी
17.02.2010

13. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने हेतु राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो राज्य सरकार इस योजना को क्या 1 मार्च, 2010 से प्रारम्भ करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्या पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की भांति शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 62 वर्ष की जायेगी? **शिक्षा**

श्री गोपाल सिंह राणा
17.02.2010

14. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा विभाग में राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक, विद्यालयों में कुल कितने शिक्षक कार्यरत है तथा कुल कितने शिक्षक सामान्य वर्ग के तथा कितने अनुसूचित जनजाति के है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति का 4 प्रतिशत आरक्षण कोटा (बैकलॉग) पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के शिक्षकों का बैकलॉग पूर्ण करेंगी? **शिक्षा**

श्री मयूख महर
18.02.2010

15. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा अपने पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय कम्प्यूटर संख्या–10/757 मु0म0आ0 1/2006 दिनांक 20.04.2006 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के एल0डब्लू0एस0 कन्या इण्टर कालेज भाटकोट को इण्टर वैज्ञानिक अतिरिक्त वर्ग की सवित्त मान्यता दिये जाने हेतु सचिव शिक्षा विभाग को निर्देशित किया था? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को सवित्त मान्यता प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

नत्थी 'ग'

वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्याः- 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, 25 खाद्य, 08 आबकारी, 26 पर्यटन, 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान, 28 पशुपालन, 29 औद्यानिक विकास एवं रेशम

	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
क-	1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री यशपाल आर्य, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 5. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 6. श्रीमती अमृता रावत, 7. श्री दिनेश अग्रवाल, 8. श्री जोत सिंह गुनसोला, 9. श्री रणजीत सिंह रावत, 10. श्री तिलक राज बेहड़, 11. श्री बलवीर सिंह नेगी, 12. श्री किशोर उपाध्याय, 13. श्री गोपाल सिंह राणा, 14. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" 15. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 16. श्री केदार सिंह रावत, 17. श्री राजेश जुवांठा, 18. श्री करन माहरा, 19. श्री मनोज तिवारी, 20. श्री मयूख महर,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
ख-	1. मौ0 शहजाद, 2. श्री सुरेन्द्र राकेश, 3. हाजी तसलीम अहमद, 4. श्री नारायण पाल, 5. श्री हरिदास, 6. श्री प्रेमानन्द महाजन	-तदैव-
ग-	1. चौ0 यशवीर सिंह, 2. काजी निजामुद्दीन	-तदैव-